झांझू बनाम सरकार

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01 / 112

दर्ज तिथि 13.07.2022

1. झांझू पुत्र श्री सीताराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नागंलबानी तहसील थानागाजी–अलवर।
2. प्रभू पुत्र श्री सीताराम जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी नागंलबानी तहसील थानागाजी–अलवर।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी तह0 थानागाजी जिला–अलवर।

.................अप्रार्थी

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता:– श्री ख्याली राम गुर्जर

अप्रार्थी अधिवक्ता:– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136

राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–09.02.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी खाता संख्या 98 हाल खसरा नम्बर 340 / 1.20 है0, 341 / 0.10 है0, 342 / 0.03 है0, 343 / 0.11 है0, 344 / 0.08 है0, 345 / 0.01 है0, 346 / 0.21 है0, 347 / 0.23 है0, 348 / 0.01 है0, 349 / 0.06 है0, 350 / 0.06 है0, 351 / 0.30 है0, 358 / 0.27 है0, 369 / 0.39 है0, 376 / 0.47 है0, 580 / 0.06 है0, 581 / 0.06 है0, 639 / 0.37 है0, कुल किता 18 कुल रकबा 4.02 है0 वाके मौजा नागंलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज चली आती है। [illegible] जी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में प्रार्थीगण की जाति अंकित नहीं है। जबकि सम्वत् 2049 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण की जाति गुर्जर अंकित है जो जमाबन्दी सम्वत् 2053–56 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी की जाति दर्ज नहीं की गई है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति गुर्जर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम के आगे जाति गुर्जर दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण जाति गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण के नाम के आगे हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संवत् 2053–56 के खाता संख्या 76 में भी प्रार्थीगण की जाति का अंकन नहीं किया गया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 के नवीन खाता संख्या 98 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	जाति	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
गुल्ली पुत्री साधू	अंकित नहीं	340	1.20 है0
नाबालिग छुट्टन पुत्र सूंसाराम		341	0.10 है0
जगदीश पुत्र सूंसाराम		342	0.03 है0
ज्याना पुत्री साधू		343	0.11 है0
झांझू पुत्र सीता		344	0.08 है0
प्रभू पुत्र सीता		345	0.01 है0
बाबूलाल पुत्र साधू		346	0.21 है0
मूली पत्नी साधू		347	0.23 है0
रामकरण पूत्र साधू		348	0.01 है0
रामकिशन पूत्र साधू		349	0.06 है0
रोशन पुत्र सूंसाराम		350	0.06 है0
सोनी पुत्री साधू		351	0.30 है0
सोहनलाल पुत्र साधू		358	0.27 है0
		369	0.39 है0
		376	0.47 है0
		[illegible]	0.06 है0
		[illegible]	0.06 है0
		[illegible]	0.37 है0
		कुल किता	कुल रकबा 4.02 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

4. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:—

बन्दोबस्त संवत् 2060		बन्दोबस्त संवत् 2028	
खसरा	रकबा	खसरा	रकबा
340	1.20 है0	319	4 बीघा 15 बिस्वा
341	0.10 है0	339	8 बिस्वा
342	0.03 है0	338	2 बिस्वा
343	0.11 है0	337	9 बिस्वा
344	0.08 है0	336	6 बिस्वा
345	0.01 है0	335 मिन	17 बिस्वा
346	0.21 है0	335 मिन	—
347	0.23 है0	334	18 बिस्वा
348	0.01 है0	333	1 बिस्वा
349	0.06 है0	332	5 बिस्वा
350	0.06 है0	331	5 बिस्वा
351	0.30 है0	330	1 बीघा 9 बिस्वा
358	0.27 है0	329	1 बीघा 1 बिस्वा
369	0.39 है0	348	1 बीघा 11 बिस्वा
376	0.47 है0	359	1 बीघा 17 बिस्वा
580	0.06 है0	533	5 बिस्वा
581	0.06 है0	532	5 बिस्वा
639	0.37 है0	524	1 बीघा 9 बिस्वा

5. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2049—53 के खाता संख्या 60 का विवरण निम्न प्रकार है:—

खातेदार	जाति	साबिक आराजी खसरा संख्या	रकबा
		खसरा	रकबा
प्रभू झांझू पुत्रान सीता हिस्सा— 1/3 साधू झूथा पुत्रान नानछा हिस्सा— 2/3 समभाग कौम गूजर साकिन देह खातेदार रहीन स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा थानागाजी मु. बि. क.	गूजर	319	4 बीघा 15 बिस्वा
		339	8 बिस्वा
		338	2 बिस्वा
		337	9 बिस्वा
		336	6 बिस्वा
		335	17 बिस्वा
		335 मिन	—
		334	18 बिस्वा
		333	1 बिस्वा
		332	5 बिस्वा
		331	5 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

		330	1 बीघा 9 बिस्वा
		329	1 बीघा 1 बिस्वा
		348	1 बीघा 11 बिस्वा
		359	1 बीघा 17 बिस्वा
		533	5 बिस्वा
		532	5 बिस्वा
		524	1 बीघा 9 बिस्वा

6. उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति अंकित नहीं है। मुताबिक बंदोबस्त संवत् 2060 मिलान क्षेत्रफल प्रार्थीगण की आराजी का विवरण बिन्दू संख्या–4 के अनुसार है। बंदोबस्त संवत् 2060 से पूर्व प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी का विवरण बिन्दू संख्या–5 के अनुसार है। बिन्दू संख्या–5 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति गूजर अंकित है। उक्त जाति का अंकन बाद के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया है। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जाति साबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गूजर को बाद के राजस्व रिकॉर्ड में यथावत रखा जाना चाहिए था। परन्तु बाद के राजस्व रिकॉर्ड में जाति संबंधी राजस्व इन्द्राज में परिवर्तन कर दिया गया। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में जाति संबंधी इन्द्राज को मुताबिक साबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में जाति संबंधी इन्द्राज दुरूस्त कर मुताबिक साबिक राजस्व रिकॉर्ड **जाति गूजर** अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:08:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना–आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner